



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092024-257220
CG-DL-E-19092024-257220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/भाद्र 27, 1946

No. 535]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/BHADRA 27, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 577(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2018 में, नियम 11 के, उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य इस उप-नियम के अधीन 1 जनवरी, 2024 से संशोधित समेकित मासिक वेतन के हकदार होंगे”।

[फा.सं. एनएफआरए-01/2/2021-कॉम्प-एमसीए(पार्ट-1)]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन.- यह घोषित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से इस अधिसूचना को जारी करने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.नि.का. 262 (अ), तारीख 22 मार्च, 2018 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.नि.का.543(अ), तारीख 06 सितंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2024

G.S.R. 577(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, namely:—

- (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Second Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, in rule 11, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the Chairperson and full time members shall be entitled to a revised consolidated monthly salary under this sub-rule from the 1st day of January, 2024”.

[F. No. NFRA-01/2/2021-Comp-MCA (Part-1)]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum.- It is hereby declared that by issuing the notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 262(E), dated 22nd March, 2018, and last amended vide G.S.R. 543(E), dated 06th September, 2024.